रामकरण बनाम अमित

2022/0300

निर्णय दिनांकः–15.05.2023

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2022/300 दर्ज तिथिः–08.08.2022

1. रामकरण उम्र करीब 59 साल पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण हरियाणा निवासी बामनवास चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर।

..................प्रार्थी

बनाम्

1. अमित कुमार उम्र करीब 45 साल पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण हरियाणा निवासी बामनवास चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर।

.......................असल अप्रार्थी

2. उगन्ती देवी उम्र करीब 50 साल पुत्री मूलचन्द जाति ब्राह्मण हरियाणा निवासी बामनवास चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर।

.........तरतीबी अप्रार्थी

3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार भू–स्वामी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

उपस्थित

प्रार्थी अधिवक्ताः– श्री देवी सहाय शर्मा।

अप्रार्थी अधिवक्ताः– श्री गोपाल शर्मा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena

Date: 2023.05.15 20:08:01 IST

Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः– 15.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की हाल आराजी खसरा संख्या 1127/0.03 है0, 1130/0.43 है0, 1273/0.10 है0, 1779/940/0.06 है0, 1781/968/0.10 है0, 1783/1131/0.13 है0, 1785/1135/0.05 है0 कुल किता 7 रकबा 1.17 है0 वाके ग्राम बामनवास चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जेकाश्त की सह–खातेदारी आराजी है। उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी 1/3 हिस्से व तरतीबी अप्रार्थी 1/3 हिस्से व असल अप्रार्थी 1/3 हिस्से के सह–खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी विधिवत विभाजित नही है और संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। असल अप्रार्थी उक्त संयुक्त आराजी को बिना विभाजन कराये दीगर व्यक्तियों को बेचान करने तथा कच्चा–पक्का निर्माण करने की फिराक में है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी को उक्त संयुक्त आराजी से जबरन बेदखल करके कब्जा नही करने, प्रार्थी की कार्य काश्त में रूकावट मजाहमत नही करने तथा बिना तकसीम करवाये दीगर व्यक्तियों को बेचान नही करने तथा निर्माण नही करने बाबत् अप्रार्थी को मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये। उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकुलाय सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी को उक्त संयुक्त आराजी से जबरन बेदखल करके कब्जा नही करने, प्रार्थी की कार्य काश्त में रूकावट मजाहमत नही करने तथा बिना तकसीम करवाये दीगर व्यक्तियों को बेचान नही करने तथा निर्माण नही करने बाबत् अप्रार्थी को मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसल दावा पाबन्द किया जावे। दौरान–ए–बहस विद्वान वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी उक्त संयुक्त आराजी में स्वतन्त्र हिस्से के सह–खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी उक्त संयुक्त आराजी में स्वतन्त्र हिस्से पर काबिज काश्त है। अतः प्रार्थी का अप्रार्थी की आराजी से कोई तनाजा नही है प्रार्थी उक्त संयुक्त आराजी में स्वतन्त्र हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रार्थी के उक्त संयुक्त आराजी में स्वतन्त्र हिस्से के सह–खातेदार काश्तकार होने एवं प्रार्थी का अप्रार्थी की आराजी से कोई तनाजा नही होने एवं प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति नही होने के कारण प्रार्थी खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नही है। प्रार्थी का कोई प्राईमाफेसी केस नही बनाता है सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 20:08:04 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रकरण में वकुलाय बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थना पत्र संयुक्त आराजी पर तकास्मा के दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अनुतोष बाबत प्रस्तुत किया गया है। सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 का उद्धरण प्रकरण में प्रासंगिक है जोकि इस प्रकार है–

> ***212. Provision for injunction and appointment of a receiver*—**
> *(1) If in the course of any suit or proceeding under this Act, it is proved by affidavit or otherwise —*
> *(a) that any property to which such suit or proceeding relates is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party thereto, or*
> *(b) that any party to such suit or proceeding threatens or intends to remove or dispose of the said property in order to defeat the ends of Justice, the court may grant a temporary injunction and, if necessary, appoint a receiver.*
>
> *(2) Any person against whom an injunction has been granted or in respect of whose property a receiver has been appointed under sub-section (1) may offer cash security in such amount as the court may determine to compensate the opposite party in case the suit or proceedings is decided against such persons, and on depositing the amount of such security, the court may withdraw the injunction or the order appointing a receiver, as the case may be.*

5. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं का विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु हैं जिनका प्रकरण में विश्लेषण इस प्रकार हैः–

   1. ***स्वामित्व एवं कब्जाः–*** किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी का स्वामित्व तथा कब्जा होना प्रथम शर्त है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र पर शामिल दस्तावेज जमाबंदी संवत् जमाबन्दी संवत 2075–2078 वाकै ग्राम बामनवास [illegible] तहसील थानागाजी से आराजी हाल आराजी खसरा संख्या 1127/0.0[illegible] है0, [illegible]30/0.43 है0, 1273/0.10 है0, 1779/940/0.06 है0, 1781/968/[illegible] है0, 1783/1131/0.13 है0, 1785/1135/0.05 है0 कुल किता 7 रकबा 1.17 है0 पर पर प्रार्थी 1/3 हिस्से व तरतीबी अप्रार्थी 1/3 हिस्[illegible] व असल अप्रार्थी 1/3 हिस्से के सह–खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। साथ ही उभय पक्षकारान इस तथ्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 20:08:01 IST
Reason: SelfAttested

पर सहमत है कि प्रार्थी व अप्रार्थी मुताबिक हिस्सा संयुक्त आराजी पर मौके पर काबिज काश्त है। इस प्रकार संयुक्त आराजी पर प्रार्थी का स्वामित्व तथा साबित होता है। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सह–खातेदार दर्ज होने पर कब्जा होना स्वतः साबित तथ्य है। अतः प्रथम शर्त प्रार्थी के पक्ष में पुष्ट होती है।

2. ***सुविधा का संतुलनः–*** किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना द्वितीय शर्त है। प्रकरण में संयुक्त आराजी पर प्रार्थी की सह–खातेदारी आराजी होने तथा प्रार्थी का मुताबिक हिस्सा कब्जा स्पष्ट साबित होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में झुकाव रखता है। परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी प्रार्थी के पक्ष में पुष्ट होती है।

3. ***अपूरणीय क्षतिः–*** किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना तृतीय शर्त है। प्रकरण में प्रार्थी ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि असल अप्रार्थी उक्त संयुक्त आराजी को बिना विभाजन कराये दीगर व्यक्तियों को बेचान करने तथा कच्चा–पक्का निर्माण करने की फिराक में है। चूँकि उक्त आराजी संयुक्त सह–खातेदारी की आराजी है इसलिये सभी सह–खातेदारों का सम्पूर्ण संयुक्त सह–खातेदारी की आराजी के प्रत्येक हिस्से पर समान हक व अधिकार है। किसी संयुक्त सह–खातेदारी की आराजी के मौके पर किसी विशेष हिस्से को बेचान करना तथा कोई पक्का निर्माण करना नियम के विपरीत है।

इन कानूनी प्रावधानों से इतर अगर किसी सह–खातेदार द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाकर बिना तकास्मा करवाये संयुक्त सह–खातेदारी की आराजी के किसी विशेष भाग का दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दिया तो निश्चित रूप से प्रार्थी/अन्य सह–खातेदारों को अपूरणीय क्षति अवश्यंभावी है।

इसके साथ ही इन कानूनी प्रावधानों से इतर अगर किसी सह–खातेदार द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाकर बिना तकास्मा करवाये संयुक्त सह–खातेदारी की आराजी के किसी विशेष भाग पर कोई पक्का निर्माण कार्य कर लिया तो निश्चित रूप से प्रार्थी/अन्य सह–खातेदारों को अपूरणीय क्षति अवश्यंभावी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 20:08:01 IST
Reason: SelfAttested

इसके साथ ही इन कानूनी प्रावधानों से इतर अगर किसी सह–खातेदार द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाकर बिना तकास्मा करवाये संयुक्त सह–खातेदारी की आराजी पर अन्य सह–खातेदारों को मुताबिक हिस्सा

कब्जेकाश्त तथा आमद–रफत में मजाहमत पैदा की तो निश्चित रूप से प्रार्थी/अन्य सह–खातेदारों को फसल करने में हुई असुविधा से अपूरणीय क्षति/हानि अवश्यंभावी है।

इस प्रकार संयुक्त आराजी पर अप्रार्थी द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाकर बिना तकास्मा करवाये संयुक्त सह–खातेदारी की आराजी के किसी विशेष भाग का दीगर व्यक्तियों को बेचान करने, किसी विशेष भाग पर कोई पक्का निर्माण कार्य करने तथा अन्य सह–खातेदारों को मुताबिक हिस्सा कब्जेकाश्त तथा आमद–रफत में मजाहमत पैदा करने से प्रार्थी/अन्य सह–खातेदारों को फसल करने में असुविधा होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति/हानि होने का प्रकरण प्रतीत होने से तृतीय शर्त भी पुष्ट होती है।

6. प्रकरण में उक्त संयुक्त आराजी प्रार्थी की सह–खातेदारी आराजी होने से स्वामित्व साबित होने तथा मुताबिक हिस्सा संयुक्त आराजी पर प्रार्थी द्वारा कब्जाकाश्त होने से कब्जा होने का प्रकरण प्रथमदृष्टया प्रार्थी के पक्ष में बनता प्रतीत होता है। साथ ही संयुक्त आराजी प्रार्थी की सह–खातेदारी आराजी होने से तथा प्रार्थना पत्र का प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष बाबत निवेदन करने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में झुकाव रखता है। अन्त में अप्रार्थी द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाकर बिना तकास्मा करवाये संयुक्त सह–खातेदारी की आराजी के किसी विशेष भाग का दीगर व्यक्तियों को बेचान करने, किसी विशेष भाग पर कोई पक्का निर्माण कार्य करने तथा अन्य सह–खातेदारों को मुताबिक हिस्सा कब्जेकाश्त तथा आमद–रफत में मजाहमत पैदा करने से प्रार्थी/अन्य सह–खातेदारों को फसल करने में असुविधा होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति/हानि होने का प्रकरण प्रतीत होने से तृतीय शर्त भी पुष्ट होती है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत संयुक्त आराजी पर तकास्मा के दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अनुतोष काबिल–ए–मंजूर पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों कानूनी बिन्दुओं को पुष्ट करने के आधार पर, ताफैसल दावा बाबत तकास्मा स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी को ताफैसल दावा बाबत तकास्मा संयुक्त आराजी वाद आराजी खसरा संख्या 1127/0.03 है0, 1130/0.43 है0, 1273/0.10 है0, 1779/940/0.06 है0, 1781/968/0.10 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 20:08:01 IST
Reason: SelfAttested

1783/1131/0.13 है0, 1785/1135/0.05 है0 कुल किता 7 रकबा 1.17 है0 वाके ग्राम बामनवास चौगान तहसील थानागाजी पर रहन के अतिरिक्त रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा संयुक्त आराजी पर मुताबिक हिस्सा प्रार्थी के कब्जे काश्त व आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न नही करने तथा संयुक्त आराजी के किसी हिस्से विशेष पर कोई कच्चा–पक्का नवीन निर्माण नही करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 15.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
थानागाजी–अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 20:08:01 IST
Reason: SelfAttested